न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी :– कौशल्या बिश्नोई, आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. :– 244 / 2025 निर्णय दिनांक : 5/1/26

कुलदीप बनाम मूलचंद वगै0

कुलदीप पुत्र धर्मचन्द जाखड़ निवासी ग्राम नीम की ढाणी बामलास टीटनवाड़ तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. मूलचन्द पुत्र भुरा निवासी ग्राम नीम की ढ़ाणी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं (राज.)
2. तहसीलदार गुढ़ागौड़जी तह. गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ. धा. 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थी कि ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी वाकै ग्राम नीम की ढाणी पटवार हल्का बामलास तह. गुढ़ागौडजी जिला झुन्झुनूं का रहने वाला है। प्रार्थी का एक खेत वाकै ग्राम नीम की ढ़ाणी पटवार हल्का बामलास तह. गुढ़ागौडजी जिला झुन्झुनूं में खेत हाल ख. न. 601 स्थित है वर्णित खेत ख.न. के दक्षिण में सिव जोड. अप्रार्थी का खेत खं.नं. 599 अवस्थित है। प्रार्थी का खेत खं नं. 601 पैतृक भूमी है प्रार्थी उक्त पैतृक भूमि का रजिस्ट्रड मालिक है जो कि प्रार्थी अपनी पैतृक भूमि का खातेदार काशतकार है प्रार्थी अपने खेत में मय मकानात परिवार सहित रिहायश करता है व खेती का कार्य करता है। वाकै ग्राम नीम की ढाणी में एक आम रास्ता टीटनवाड़ से केड कटाणी रास्ता डामरीकृत सड़क खसरा नं. 599 से होकर गुजरता है प्रार्थी अपने खेत में पैदाइसी समय से ही उक्त खातेदारी खेत खं न., 601 में रिहायश करता है तथा खेत खसरा नं. 599 में स्थित उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग करते आ रहा है जो कि आम रास्ते से अप्रार्थी के खेत के पश्चिम सिंव से होकर नजरी नक्शे में वर्णित रास्ता ए से बी प्रार्थी अपने खेत में आने जाने के लिए उपयोग उपभोग करता है व अपने खेत ख. नं. 601 में आने जाने के लिए अप्रार्थी के खेत में स्थित रास्ते का उपयोग उपभोग शांतिपूर्वक करता आ रहा है उक्त रास्ते पर

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

प्रार्थी को सुखाधिकार प्राप्त है। अप्रार्थी अब प्रार्थी व उसके परिजनों को आने जाने के लिए अवरोध पैदा कर रहे है प्रार्थी व उसके परिजनों को उक्त रास्ते का उपयोग व उपभोग नही करने दे रहे है व ना ही रास्ते से आने जाने देते है प्रार्थी अप्रार्थी के खेत से अपने खेत मे आने के लिए प्रारम्भ से ही इस रास्ते का उपयोग उपभोग करते आ रहा है मौके पर रास्ता चालु है व ग्रेवल सड़क बना रखी है लेकिन रिकॉर्ड में प्रचलित रास्ता कटाणी रास्ते के रूप में दर्ज नहीं है दिनांक 01/07/2025 को प्रार्थी विवादित रास्ते से प्रार्थी के खेत ख. नं. 601 पर आ रहा था उस दौरान अप्रार्थी ने प्रार्थी के साथ हाथापाई व मारपीट करने की कोशिश की एवं विवादित रास्ते से आने जाने से प्रार्थी को रोका गया। प्रार्थी भूमि हाल ख. न. 599 के पशिचम में नजरी नक्शे में वर्णित ए. से बी. रास्ते का शांतिपूर्वक उपयोग व उपभोग करता आ रहा है व प्रारम्भसे ही प्रार्थी नजरी नक्से में वर्णित ए.से.बी. रास्ते का उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। चुकि उक्त रास्ता कटानी रास्ता नहीं है जिसमें अप्रार्थी द्वारा कई बार बाधा उत्पन्न कि जाती है इसलिए उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में कटानी रास्ता दर्शाया जाना आवश्यक है। प्रार्थी के खेत ख. न. 601 में आने जाने के लिये उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता मौके पर मोजूद नहीं है। प्रार्थी को अपने खेत ख. न. 601 में आने जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता है नजरी नक्शे में वर्णित रास्ते के अलावा अन्य किसी दिशा से कोई नजदीकी कटानी रास्ता नहीं है इसलिए नजरी नक्शे में वर्णित रास्ता जो कि मौके पर चालु है व प्रचलित रासता है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है नहीं हाने की वजह से अप्रार्थी प्रार्थी को आवागमन में बाधा उत्पन्न करता है इसलिए उक्त प्रचलित रास्ते को कटाणी रास्ते में दर्ज किया जावे व उक्त प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड मे कायम किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र के साथ संलगन नजरी नक्से में वर्णित निशान ए.से बी. बिन्दू तक अप्रार्थी के भूमि हाल ख.न. 599 में वर्णित उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई आने जाने का रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है इसलिये प्रार्थी कि आवश्यकताओं को देखते हुए उक्त वर्णित प्रचलित रास्ता संलग्न नजरी नक्शे में वर्णित ए से बी प्रार्थी को उक्त सस्ता 4 मीटर चौडा, कायम करके अप्रार्थी को उक्त नजरी नक्से में वर्णित रास्ते को राजस्व नक्शा व अभिलेख में कायम कर दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किया जाना न्यायोचित है।

उक्तानुसार प्रार्थना पत्र पेश होने पर अनावेदकगण को जरिये नोटिस जबाब देही हेतु तलब किया गया। अनावेदकगण अनावेदक संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता सुरेश महला ने वकालतनामा पेश किया व जबाब पेश नहीं करना जाहिर किया। अतः अनावेदक संख्या 1 की जबाबदेही बंद की गई। प्रस्तावित रास्ता बाबत तहसीलदार से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में खसरा नं. 601 में आवागमन के लिए खसरा नं. 599 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे 108 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौड़ा रास्ता प्रस्तावित किया है तथा यही रास्ता प्रार्थि के लिए न्यूनतम दूरी का रास्ता बताया है। प्रार्थी की ओर से एडवोकेट विक्रम ओला तथा अनावेदक संख्या 1 की ओर से एडवोकेट सुरेश महला उपस्थित आये। बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने कथन किया कि आवेदक के खेत खसरा नं. 601 में आवागमन हेतु किसी प्रकार का रास्ता नहीं है तथा

उपखण्ड अधिकारी

प्रस्तावित रास्ता भूमि पर पहले से ही ग्रेवल सड़क बनी हुई है। आवेदक को रास्ते की नितांत आवश्यकता है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार रास्ता कायम कर दिया जाये। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस विद्वान अधिवक्तागण पर बगौर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि आवेदक के खेत खसरा नं. 601 में आवागमन हेतु व अपनी जोत को सुधार करने हेतु रास्ते की नितांत आवश्यकता है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों, बहस के दौरान अधिवक्तागण द्वारा दी गई दलीलों के मध्यनजर प्रार्थना पत्र प्रार्थी न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। लिहाजा :–

–: आदेश :–

आवेदक द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम ग्राम नीम की ढ़ाणी पटवार हल्का बामलास तह. गुढ़ागौडजी जिला झुन्झुनूं में खेत हाल ख. न. 601 में आवागमन के लिए मुताबिक संलग्न तहसीलदार रिपोर्ट खसरा नं. 599 में से पश्चिमी सीमा सहारे सहारे मुताबिक रिपोर्ट तहसीदार 4 मीटर चौड़ा रास्ता कायम करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक राजस्व/2025/819 दिनांक 15.07.2025 द्वारा भिजवाई गई प्रस्तावित रास्ता बाबत रिपोर्ट आदेश का भाग रहेगी। रास्ते में आने वाली भूमि के बदले भूमि की वर्तमान डीएलसी दर की दोगुना राशि भूमि खसरा नं. 599 के खातेदारों को भुगतान किया जाकर या भुगतान नहीं लेने की स्थिति में राशि राजकोष में जमा करवाई जाकर तहसीलदार प्रस्तावित रास्ते को गै0 मु0 रास्ता दर्ज करे। आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 5/1/26 को टंकण करवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(कौशल्या बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)